

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10174 / 5293

दिनांक :- 05/03/2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री मनीष पालीवाल [लिंक न. 10174] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर - [394] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 08/02/2018 से 15/02/2018 तक 8 दिवस (चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर)

कुल 8 दिवस

उक्त कुल 8 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री मनीष पालीवाल की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10174 / 5293

दिनांक :- 05/03/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर
2. कोषाधिकारी उदयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री मनीष पालीवाल [10174] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

(भवानी सिंह मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)